दिनांक 04.08.2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

-कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

-मास्क को लेकर सुपेला सब्जी मंडी, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों में हुई कार्रवाई

- कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भिलाई निगम का कार्रवाई अभियान तेज

भिलाई नगर। कोरोनावायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भिलाई निगम ने कार्यवाही अभियान तेज कर दिया है , मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है , आज 27 लोगों से 5650 रुपए जुर्माना वसूल किया गया! वहीं मास्क को फैशन के रूप में लटकाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है! दुकानों का निरीक्षण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क की अनिवार्यता की जांच की जा रही है! व्यवसायियों को हिदायत दी जा रही है कि ग्राहकों को तभी सामान दे जब वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अनिवार्य रूप से पहने हो! आज इसी के तहत सुपेला सब्जी मंडी के निरीक्षण के लिए जोन आयुक्त मनीष गायकवाड अपनी टीम के साथ आकाशगंगा पहुंचे , वहां पर 10 लोगों के द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था जिस पर 2350 रुपए जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही की! उल्लेखनीय है कि कोविड के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के परिपालन में निगम के सभी जोन में गठित टीम के कर्मचारी चौक , चौराहा, सब्जी मार्केट, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध अर्थदंड की कार्यवाही कर रहे है। आज सुबह नेहरूनगर के जोन आयुक्त मनीष गायकवाड़ कर्मचारियों के साथ आकाशगंगा स्थित सब्जी मंडी पहुंचे और पूरे बाजार का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही किए। जोन आयुक्त ने सब्जी बाजार में पसरा लगाने वाले तथा सब्जियों के थोक दुकानों पर पहुंचे और अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की समझाइश दी! इसी प्रकार जोन 04 शिवाजी नगर में जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम ने वाहनो को रोककर मास्क की जांच किए और मास्क नहीं लगाने वालों से अर्थदण्ड लिया।

जनसम्पर्क अधिकारी